



बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित
विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

बिजेन्द्र प्रसाद यादव
वित्त मंत्री

मार्च, 2015

विषय सूची

	पृष्ठ
(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-5
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	6-12
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	12-15

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को 18 फरवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों को रखेगी। उक्त के आलोक में विवरणियाँ निम्नवत है:-

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

1.1 बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका क.1 में प्रदर्शित है।

तालिका क.1: अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर)
(प्रतिशत में)

क्षेत्र / वर्ष	अखिल भारत		बिहार	
	2004-05	2013-14	2004-05	2013-14
प्राथमिक	19.03	13.94	31.59	18.95
द्वितीयक	20.22	18.70	13.71	18.32
तृतीयक	60.75	67.36	54.70	62.73

स्रोत- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

नोट:- वर्ष 2013-14 के आंकड़े त्वरित अनुमानित हैं।

1.2 वर्ष 2004-05 से 2013-14 की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.03 प्रतिशत से घटकर 13.94 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 20.22 प्रतिशत से घट कर 18.70 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 60.75 प्रतिशत से बढ़कर 67.36 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि में बिहार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 31.59 प्रतिशत से घटकर 18.95 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.71 प्रतिशत से बढ़कर 18.32 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.70 प्रतिशत से बढ़कर 62.73 प्रतिशत हो गया है।

1.3 वर्ष 2004-05 में अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का योगदान 2.62 प्रतिशत था जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 3.04 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में राज्य के घरेलू उत्पाद में 9.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2010-14 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Compounded Annual Growth Rate) 11.3 प्रतिशत रही है, जबकि इसके पूर्व वर्ष 2000-05 में यह मात्र 1.4 प्रतिशत ही थी।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-

2.1 वर्ष 2013-14 के त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) में गत वर्ष की तुलना में 9.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.2 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 की अवधि में 11.3 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 9.74 प्रतिशत से काफी अधिक है। वर्ष 2012-13 की तुलना में, वर्ष 2013-14 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः (-)10.03 प्रतिशत, 11.57 प्रतिशत तथा 17.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.3 वर्ष 2013-14 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3,43,054 करोड़ रुपये है। वर्ष 2012-13 में औपबंधिक अनुमान 2,96,153 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष के औपबंधिक अनुमान की तुलना में 15.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2004-05) पर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान तथा उनमें वृद्धि/कमी की स्थिति तालिका क.2 में दर्शाई गई है।

2.4 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के चालू मूल्यों पर वर्ष 2012-13 में प्रतिव्यक्ति आय 29,679 रुपये थी जो वर्ष 2013-14 में 14.4 प्रतिशत की दर से बढ़ कर 33,954 रुपये हो गयी है।

तालिका क.2

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2004-05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान
(राशि करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	क्षेत्र	2012-13 (प्रावधिक अनु.)	2013-14 (त्वरित अनु.)	2012-13 की तुलना में 2013-14 में प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	कृषि /पशुपालन	32693.90	28908.36	-11.58
2	वानिकी /काष्ठ उत्पादन	2320.33	2277.00	-1.87
3	मत्स्य उद्योग	1693.96	1830.10	8.04
4	खनन /प्रस्तर खनन	92.09	92.07	-0.02
	उप योग (प्राथमिक)	36800.28	33107.53	-10.03
5	विनिर्माण	7117.47	7376.55	3.64
	(i) निबंधित	2534.35	2554.28	0.79
	(ii) अनिबंधित	4583.12	4822.27	5.22
6	निर्माण	19596.56	22464.22	14.63
7	विद्युत /जलापूर्ति /गैस	1980.67	2172.70	9.70
	उप योग (द्वितीयक)	28694.70	32013.47	11.57
8	परिवहन /भंडारण/ संचार	13378.52	14980.73	11.98
	(i) रेलवे	2330.67	2349.73	0.82
	(ii) अन्य परिवहन	4258.40	4873.10	14.43
	(iii) भंडारण	116.01	125.44	8.13
	(iv) संचार	6673.44	7632.46	14.37
9	व्यापार /होटल/ रेस्टोरेंट	37734.98	44824.28	18.79
	उप योग (8+9)	51113.50	59805.01	17.00
10	बैंकिंग / बीमा	8816.07	10623.89	20.51
11	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	8302.06	9208.60	10.92
	उप योग (10+11)	17118.13	19832.49	15.86
12	लोक प्रशासन	8099.85	9730.77	20.14
13	अन्य सेवाएं	17145.00	20244.30	18.08
	उप योग (तृतीयक)	93476.48	109612.57	17.26
	कुल जी०एस०डी०पी०	158971.46	174733.57	9.92

स्त्रोत:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, बिहार ।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

- 3.1 वर्ष 2013-14 में राजस्व आधिक्य 6441.42 करोड़ रूपए हुआ जबकि बजट में 6808.85 करोड़ रूपए अनुमानित था । वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा 8351.93 करोड़ रूपए हुआ जबकि बजट में 8769.45 करोड़ रूपए अनुमानित था, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद 343053.98 करोड़ रूपये) 3.0 प्रतिशत के भीतर है एवं मात्र 2.43 प्रतिशत है ।
- 3.2 वर्ष 2013-14 की वास्तविकी के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 68918.65 करोड़ रूपए है जो उस वर्ष के बजट अनुमान 80066.47 करोड़ रूपए से कम है । इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में राज्य सरकार के कर-भिन्न राजस्व एवं केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में बजट अनुमान से कम राशि प्राप्त होना है ।
- 3.3 वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 19960.68 करोड़ रूपये थी जो उस वर्ष के बजट अनुमान 20962.70 करोड़ रूपये का 95.22 प्रतिशत है । वर्ष 2013-14 में राज्य के करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ 1544.83 करोड़ रूपये है जो उस वर्ष के बजट अनुमान 3416.08 करोड़ रूपये से 54.78 प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण पेंशन मद में झारखण्ड राज्य से अनुमानित राशि 2000.00 करोड़ रूपये में मात्र 398.17 करोड़ रूपये प्राप्त होना था। वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में क्रमशः 16253.08 करोड़ रूपये एवं 1135.27 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी ।

4. संभावनाएं-

- 4.1 स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2004-05) पर वर्ष 2012-13 से 2013-14 में बिहार राज्य में औद्योगिक प्रक्षेत्र (द्वितीयक प्रक्षेत्र) में 11.6 प्रतिशत की विकास दर्ज की गयी है, परिणामस्वरूप, राज्य के समायोजित विकास संभव हो सकेगा ।
- 4.2 स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2004-05) पर वर्ष 2012-13 से वर्ष 2013-14 में सेवा प्रक्षेत्र के बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र (20.51 प्रतिशत), लोक प्रशासन क्षेत्र (20.14 प्रतिशत) एवं व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिक्षेत्र (18.79 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है ।
- 4.3 राज्य सकल घरेलू उत्पाद (343053.98 करोड़ रूपए) पर राजकोषीय घाटे का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 2.43 प्रतिशत रहने से राज्य पर सकल ऋण भार सीमित रहा है । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिसीमा 3.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है ।

तालिका क.3:- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रुझान (राशि करोड़ रूपए में)

अनु० क्र०	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2013-14 (वास्तविकी)	2014-15 (बजट अनुमान)	2015-16 (बजट अनुमान)		
1	2					
1	राजस्व प्राप्तियाँ	68918.65	101939.46	103189.06	47.91	1.23
2	कर राजस्व (क+ख)	54789.79	67438	81622.58	23.08	21.03
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	34829.11	41775.05	50747.58	19.94	21.48
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	19960.68	25662.95	30875.00	28.57	20.31
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	1544.83	3081.68	3395.86	99.48	10.20
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	12584.03	31419.78	18170.63	149.68	-42.17
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	9922.12	14743.31	17725.33	48.59	20.23
6	(क) ऋणों की वसूली	15.03	15.97	16.52	6.25	3.44
	लोक ऋण (7+8)	9907.09	14727.34	17708.81	48.65	20.24
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	9357.43	12878.15	14920.13	37.62	15.86
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	549.66	1849.19	2788.68	236.42	50.81
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	78840.77	116682.77	120914.39	48.00	3.63
10	आयोजना भिन्न व्यय	46727.61	59231.04	63259.59	26.76	6.80
11	राजस्व खाते पर जिसमें	43381.03	55426.51	59054.52	27.77	6.55
12	(क) ब्याज भुगतान	5459.04	6581.46	7220.77	20.56	9.71
12	(ख) पेंशन	9481.73	11666.33	12979.67	23.04	11.26
12	(ग) वेतन	13337.27	18204.75	17757.90	36.50	-2.45
13	पूँजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	3346.58	3804.52	4205.07	13.68	10.53
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	2558.83	2973.06	3176.63	16.19	6.85
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	560.73	589.83	718.65	5.19	21.84
	(ग) पूँजीगत व्यय	117.19	151.00	144.95	28.85	-4.01
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	109.83	90.63	164.84	-17.48	81.88
14	आयोजना व्यय	33677.56	57655.12	57425.73	71.20	-0.40
	(क) राज्य योजना	30707.27	57392.44	57137.62	86.90	-0.44
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	2970.29	262.68	288.11	-91.16	9.68
15	राजस्व खाते पर	19096.20	36338.92	32153.59	90.29	-11.52
16	पूँजीगत खाते पर	14581.35	21316.21	25272.14	46.19	18.56
17	कुल व्यय (10+14)	80405.17	116886.16	120685.32	45.37	3.25
18	राजस्व व्यय (11+15)	62477.23	91765.43	91208.11	46.88	-0.61
19	पूँजीगत व्यय (13+16)	17927.94	25120.73	29477.21	40.12	17.34
20	राजस्व घाटा (18-1)	-6441.42	-10174.03	-11980.95	57.95	17.76
21	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	8351.93	11367.84	13584.46	36.11	19.50
22	प्राथमिक घाटा (21-12क)	2892.89	4786.38	6363.69	65.45	32.95
23	जी.एस.डी.पी.	343053.98	383709.00	455451.00	11.85	18.70
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.43%	2.96%	2.98%	21.69	0.68
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	7.92%	6.46%	7.00%	-18.49	8.39

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण:-

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया। उक्त के आलोक में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष बनाये रखा था। वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत तक रखा जाना था। आर्थिक मंदी के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये क्रमशः 4.00 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2012-13 एवं आगे के वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा का प्रतिवेदन अभी जन साधारण को उपलब्ध नहीं है। संसद के बजट सत्र में उपस्थापन के उपरांत उपलब्ध होगा। वर्ष 2015-16 से आगे के वर्षों का राजकोषीय घाटा 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा माना गया है।

तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ ₹० में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी			बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2012-13	2013-14	2014-15		2015-16	2016-17	2017-18
1	सकल घरेलू उत्पाद	296152.76	343053.98	383709.00	455451.00	529025.00	614485.00	
2	राजस्व बचत	5100.51	6441.42	10174.03	11980.95	12580.00	13209.00	
3	राजकोषीय घाटा	6545.26	8351.93	11367.84	13584.46	15870.75	18434.55	
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	57474.37	64261.89	75426.34	89239.87	105110.62	123545.17	
5	कर राजस्व	48153.47	54789.79	67438.00	81622.58	93865.97	107945.86	
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	1.72	1.88	2.65	2.63	2.38	2.15	
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	2.21	2.43	2.96	2.98	3.00	3.00	
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	16.26	15.97	17.58	17.92	17.74	17.57	
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	19.41	18.73	19.66	19.59	19.87	20.11	

नोट:- 1. जी.एस.डी.पी. के वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्र सं०-2102 दिनांक-18-12-2014 के आधार पर रखे गये है। वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में रखा गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लोक ऋण की वास्तविकी पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में जो ऋण प्राप्ति दिखलायी गयी है उसमें से बजट में दिखलायी गयी ऋण वापसी को घटा कर शामिल किया गया है।

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :-

- (क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 50747.58 करोड़ रूपए अनुमानित है जो कि भारत सरकार के बजट में बिहार को केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो प्राप्त होना अनुमानित है उसके अनुरूप लिया गया है। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 30875 करोड़ रूपए है।
- (ख) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2015-16 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 3395.86 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें 1600.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है।
- (ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2014-15 (पुनरीक्षित अनुमान) में 25662.95 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2015-16 में 30875.00 करोड़ रूपया प्राप्त होना अनुमानित किया गया है। वर्ष 2014-15 (पुनरीक्षित अनुमान) के कुल राजस्व में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 26.80 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 में 29.92 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है।
- (घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने करेत्तर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2014-15 (पुनरीक्षित अनुमान) में 3096.69 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2015-16 में 3395.86 करोड़ रूपया प्राप्त होना अनुमानित किया गया है। वर्ष 2014-15 (पुनरीक्षित अनुमान) के कुल राजस्व में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा 0.0323 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 0.0329 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :-

वर्ष 2015-16 में पूंजीगत प्राप्तियाँ 17725.33 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित अनुमान 14743.31 करोड़ रूपये से 2982.02 करोड़ रूपये अधिक है।

वर्ष 2015-16 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

- (क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम के मद में 2788.68 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है ।
- (ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां- राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है । परन्तु यह राज्य के हित में अल्प बचत को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं में जमा हुई राशि के आधार पर अनिवार्यतः लेना पड़ता है । वर्ष 2015-16 में इस मद में 1650.00 करोड़ रूपए प्राप्त होने का अनुमान है ।
- (ग) वित्तीय संस्थानों से उधार - वर्ष 2015-16 में बाजार ऋण के अंतर्गत 11113.66 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । उसी वर्ष नाबार्ड से 2100.00 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है । यह ऋण सबसे सस्ता स्रोत है ।
- (घ) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2014 तक राज्य का 21379.36 करोड़ रुपया उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग (16535.92 करोड़ रूपए) ऊर्जा प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उधार पर बकाया है ।
- (च) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है । उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की आपूर्ति करने के लिये किया जाएगा ।
- (च) बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2013-14 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2014 की समाप्ति पर लोक ऋण 64261.89 करोड़ रुपये है । राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) को जोड़कर यह राशि 86939.10 करोड़ रुपये होती है ।

तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(राशि करोड़ रुपये में)

अनुक्र.	प्रवर्ग	वर्ष 1 अप्रैल 2013 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववर्ती वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	आगामी वर्ष 2015-16	पूर्ववर्ती वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	आगामी वर्ष 2015-16	पूर्ववर्ती वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	आगामी वर्ष 2015-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	25937.78	6500.00	9636.45	11113.66	1153.23	1433.77	1267.19	31284.55	39487.23	49333.70
(ii)	एनओएसओएसओएफओ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	19124.95	1386.49	1000.00	1650.00	754.97	794.62	1037.20	19756.47	19961.85	20574.65
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	3113.16	1470.87	2241.70	2156.47	442.80	535.01	662.59	4141.23	5847.92	7341.80
(iv)	बन्ध पत्र	642.16	0.07	0.00	0.00	207.83	209.66	209.66	434.40	224.74	15.08
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	7.45
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	48825.50	9357.43	12878.15	14920.13	2558.83	2973.06	3176.64	55624.10	65529.19	77272.68
2	केन्द्र से ऋण	8648.86	549.66	1849.19	2788.68	560.73	589.83	718.65	8637.79	9897.15	11967.18
	कुल लोक ऋण	57474.36	9907.09	14727.34	17708.81	3119.56	3562.89	3895.29	64261.89	75426.34	89239.86
3	लोक लेखा (अल्पबचत, भविष्य निधि इत्यादि)	9345.74	1072.31	1644.50	1297.49	1370.20	1408.70	1659.17	9047.85	9283.65	8921.97
	योग	66820.10	10979.40	16371.84	19006.30	4489.76	4971.59	5554.46	73309.74	84709.99	98161.83

(3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में योजना व्यय तथा गैर-योजना व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान अनुसार योजना राजस्व व्यय 32153.59 करोड़ रुपये एवं गैर-योजना राजस्व व्यय 59054.52 करोड़ रूपए अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है।

(i) वेतन - वर्ष 2015-16 में गैर-योजना मद में 17757.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है। लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं में कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 2852.60 करोड़ रुपये भुगतान किया

जाना अनुमानित है। विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान के रूप में 1763.22 करोड़ रुपये भुगतान किया जाना अनुमानित है ।

(ii) **ब्याज भुगतान** - वर्ष 2015-16 में 7220.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है ।

(iii) **पेंशन** - पेंशन मद में वर्ष 2015-16 में 12979.67 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) **पूँजीगत लेखा** - पूँजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

(i) **पूँजीगत परिव्यय** -राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है । वर्ष 2015-16 में योजना मद में 24708.05 करोड़ रुपये एवं गैर योजना मद में 144.95 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है ।

(ii) **लोक ऋण** -वर्ष 2015-16 में लोक ऋण में 3895.28 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें राज्य के अंतरिक ऋण के विरुद्ध 3176.63 करोड़ रुपए की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम के मद में 718.65 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान है ।

(iii) **उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2015-16 में उधार तथा अग्रिम मद में 728.93 करोड़ रुपया अनुमानित है जिसमें गैर-योजना मद में 164.84 करोड़ रुपये और योजना मद में 564.09 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(4) **राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :**

14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2015-16 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 455451 करोड रुपये अनुमानित है ।

(5) **संवहनीयता का निर्धारण :**

(i) **सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 26.57 प्रतिशत है तथा वर्ष 2015-16 में इसके 22.66 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राज्य के

अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 6.69 प्रतिशत है और यह वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में 6.78 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 10.89 प्रतिशत है और यह वर्ष 2015-16 बजट अनुमान में 11.14 प्रतिशत संभावित है।

वर्ष 2014-15 बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 6.46 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में घट कर 7.00 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 22.08 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार 21.55 रहने की संभावना है।

- (ii) गैर-योजना राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 बजट अनुमान की तुलना में वेतन मद में 2.46 प्रतिशत की कमी तथा पेंशन मद में 11.26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2013-14 की तुलना में 20.56 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में 9.71 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। गैर-योजना राजस्व व्यय में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2015-16 में 6.80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

- (iii) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार दसवें वर्ष राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है। सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

- (iv) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - वर्ष 2015-16 में पेंशन मद में 12979.67 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2015-16 से आगे के वर्षों के लिए 16 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2015-16	12979.67
2016-17	15056.42
2017-18	17465.44
2018-19	20259.91
2019-20	23501.50
2020-21	27261.74
2021-22	31623.62
2022-23	36683.40
2023-24	42552.74
2024-25	49361.18

(ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण:-

- (1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार : राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में 1.23 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) की तुलना में वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में 20.31 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। करेक्टर राजस्व में वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) की तुलना में वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में 10.20 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य का राजस्व अधिक्य वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) 10174.03 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2015-16 में 11980.95 करोड़ रूपए अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) 11367.84 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2015-16 में 13584.46 करोड़ रूपए अनुमानित है। यह राजकोषीय घाटा राज्य सकल

घरेलू उत्पाद 455451 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत है ।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा ।

(अ) कर नीति : कर की दरों को युक्ति युक्त बनाकर कराधार को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । साथ ही कर की अपवंचना को रोकना और कर संग्रहण में सूचना एवं प्रावैधिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । कर संग्रहण से जुड़े कर्मियों के कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा तथा अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का बल है । राज्य सरकार के अपने कर संग्रहण में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में 22.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2015-16 में राज्य के अपने कर राजस्व में 20.31 प्रतिशत की अधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(आ) व्यय नीति : गैर-योजना के अनुत्पादक व्यय में कमी करना, राज्य योजना व्यय में वृद्धि करना, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में लागू किए गए कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने वाले विवरणी “परिणाम बजट” की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वर्ष 2015-16 के लिए परिणाम बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2015-16 हेतु भी जेण्डर बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) बाल कल्याण बजट:- राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए

वचनबद्ध है। बाल कल्याण बजट के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित होता है। बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) **उपलब्धि प्रतिवेदन:-** वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है। उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है। वर्ष 2014-15 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्व:** वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है। आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है। 31 मार्च 2014 तक इस निक्षेप निधि में जमा की गयी राशि 1630.18 करोड़ रुपये की है। विवरणी निम्नलिखित है-

तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1 अप्रैल 2013 को शेष	वर्ष 2013-14 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2014 को अवशेष
निक्षेप निधि	931.38	436.27	262.53	1630.18

(4) **आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ:**

- (i) राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय, व्यय एवं राजस्व के संग्रहण से संबंधित है। सरकार की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और अधिक से अधिक कर संग्रहित हो यह सुनिश्चित करना है।
- (ii) गैर योजना मद में कमी कर राज्य योजना का व्यय बढ़ाना, जिससे विकासात्मक कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके।
- (iii) राज्य के व्यक्तियों का कौशल विकास कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जाना।

(iv) ऊर्जा की उपलब्धता पूरे राज्य में प्रत्येक दिन चौबीस घंटे उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना ।

(v) राज्य में सभी क्षेत्र में सड़कों के प्रभावी नेटवर्क को सुनिश्चित करना ।

(5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

(i) राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य है ।

(ii) कृषि के विकास की दर में वृद्धि बनी रहे इस हेतु विशेष ध्यान दिए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ।

(iii) करों की दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी ।

(6) नीति मूल्यांकन : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2013-14 की वास्तविकी, वर्ष 2014-15 के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(c) Copyright 2015 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056